

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ12-13/2009/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक / दिसम्बर, 2009

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिश्नर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश ।


विषय:- गबन, चोरी इत्यादि से हुई शासकीय हानि की राशि का कोषालय से पुनः आहरण ।

---0---

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमां 1202/चार/बी-6/72 दिनांक, 2-11-72 तथा ज्ञापन क्रमांक ई:3/2/89/सी/चार, दिनांक 30-12-1995 के द्वारा, चोरी, गबन, हानि आदि से हुई शासकीय हानि के पुनः आहरण करने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये हैं । वित्त विभाग द्वारा ज्ञापन दिनांक 30-12-95 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है कि इन प्रकरणों में आहरण के पहले विभागाध्यक्ष प्रशासकीय विभाग से अनुमति प्राप्त करेंगे ।

2/ शासन के ध्यान में यह बात आयी है कि कतिपय विभागों द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-1 में दर्शित स्पष्ट आदेश/निर्देश के बावजूद भी ऐसी राशि के पुनः आहरण करने हेतु वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं । समय सीमा में आहरण न करने से माननीय न्यायालयों द्वारा प्रकरणों में दायर वाद पर राज्य शासन से ब्याज का भुगतान भी आदेशित किया है ।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के आहरण हेतु विभाग स्तर पर ही पूर्ण परीक्षण कर उक्त निर्देशों के अनुसार यथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा अनावश्यक पत्र व्यवहार में प्रकरण लंबित कर राज्य शासन पर ब्याज का अनावश्यक भार न डाला जाये ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जी.पी.सिंघल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक:एफ 12/13/2009/नियम/चार


भोपाल, दिनांक

/ दिसम्बर 2009

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(डी.के.सखसैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग